बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति

अजीत कुमार*

किसी भी राष्ट्र के विकास और उसकी समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। शिक्षा राज्य का मौलिक दायित्व है ताकि प्रत्येक भारतीय को वर्ग, वर्ण, जाति–रंग सामाजिक–आर्थिक स्तरों से निरपेक्ष होकर गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा की संस्था तक सबों को पहुँचाया जाय। शिक्षा को बुनियादी जरूरत माना जाता है। भारत की आजादी के बाद यहॉ की हर सरकार घोषणा के रूप में ही सही शिक्षा के प्रसार की दिशा में कई योजनाएं बनाती रही है। हालांकि इस बात पर हमेशा सवाल उठता रहा है कि इन योजनाओं के अमल में कितनी ईमानदारी बरती जाती है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि शिक्षा का प्रसार हुआ है। पर आज भी साक्षरता दर इस बात की गवाही दे रही है कि अपेक्षित और आवश्यक प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में नही हो पाया। भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। परंतु अभी हमारे देश में ऐसे 30 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिन्हें साक्षर बनने की जरूरत हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुकूल रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करना है। शिक्षा समता लाने का सबसे बड़ा उपकरण है और समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित कर हम विकास को अधिक से अधिक समग्र बना सकते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर केन्द्रित करना चाहिए। दलित–आदिवासी बच्चों के 'ड्राप आउट' पर मानव संसाधन मंत्रालय ने कई अध्ययन करवाये हैं तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कई कोशिशें की हैं, पर सब असफल रही हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि 'ड्राप आउट' करने वाले बच्चों की अधिकांश संख्या भूमिहीन कृषि मजदूरों की है या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित–आदिवासी परिवारों की। सरकारें भूमिहीन कृषि मजदूरों की भूमि देने के लिए तैयार नहीं है तथा दलित–आदिवासी समाज में प्याप्त घोर गरीबी को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र एक उपाय बचता है कि समस्त दलित–आदिवासी भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित आदिवासी बच्चों के माता–पिता का मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।

***शोधार्थी, कार्मिक औद्योगिक संबंध एवं प्रबंध विभाग तिलका मॉझी विश्वविद्यालय, भागलपुर**

विगत वर्षों में हमारे राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। इन वर्षों में उच्च शिक्षा के द्रुत विकास के क्रम में स्तरीयता की अल्पता उत्पन्न हुई जिस कारण से मानव संसाधन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। गुणवत्ता प्रभाव एवं प्रासंगिकता ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनके माध्यम से समाज उच्च शिक्षा की कामयाबी को मापता है। यू0जी0सी0 के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि बिहार में लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधाएँ, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक–छात्र का अनुपात आदि पर उच्च शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज यह जबरदस्त भावना हो गयी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की कुशलता जॉब मार्केट की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है। एक ओर तो हम शिक्षित बेराजगारों की संख्या नहीं चाहते और दूसरी ओर हमारे पास जो कार्य (जॉब) है उनके लिए अुनकूल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय एवं विश्व बाजार की प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह अनिवार्य है कि हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का संबर्द्धन किया जाए। बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में ह्रास और उदासीनता, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षासे शिक्षा की गुणवत्ता ही लगातार क्षीण नहीं हो रही है बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में ऐ अराजकता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की मार्गदर्शिका की लगातार अनदेखी की जा रही है। बगैर किसी गहन अध्ययन और वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए अन्तर विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग विद्यालय शिक्षा सेवा बोर्ड आदि संस्थाओं को विघटित करके उनके स्थान पर राज्य सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जिसके फलस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालय के बीच समन्वय एवं एकरूपता में गिरावट जारी है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग को विघटित किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो में 10 वर्षों से अधिक समय में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयो में शिक्षकों की जगह पर भी नियुक्तियॉ नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कक्षाएँ नहीं चल रही है। छात्र–छात्राएँ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उपस्थित नहीं हो रही है। परीक्षाओं में कदाचार और अनियामितता के कारण बिहार से बाहर बिहार के उत्कृष्ट छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। विद्यालय सेवा आयोग के विघटित होने के कारण प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियॉ नियमित रूप से नहीं होने के कारण पूर्णतया

संविदा के आधार पर औपबंधिक शिक्षकों की नियुक्तियॉ नियोजित शिक्षकों के रूप में की गयी हैं। उन्हे एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है जो राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान से अत्यधिक कम है। भ्रष्टाचार एवं कदाचार व्याप्त हो गया है।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगातार हो रहे गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1996 से लगातार आठ हजार से अधिक व्याख्याता, उप–प्राचार्य (रीडर) विश्वविद्यालय आचार्य एवं प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 से बंद है। वरीय और योग्य शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य, शोध कार्य पूर्ण रूप से बाधित है। शिक्षकों के अभाव में नियमित शिक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार नगण्य होती जा रही है। हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भी स्थिति निम्नवत है– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षक रहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आयोजित परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। प्राथमिक से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक लगभग पॉख लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। नियोजन एवं नियुक्ति की अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक एवं शिक्षा, शिक्षक शिक्षार्थी विरोधी प्रक्रियाओं के कारण पूरे राज्य का शिक्षा जगत और भी भयंकर दुष्परिणामों को भोगने के लिए अभिशप्त है। माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक से लेकर पंचायत तक और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से लेकर बिहार लोक सेवा आयोग तक रिक्तियॉ, परीक्षाऍ एवं साक्षात्कार, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जाली प्रमाण पत्रों की जॉच पड़ताल, जाली शिक्षकों के जेल और बेल के खेल में पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गई है। 25 वर्ष पहले तक प्राथमिक पाठशालाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के पैनल से सेवानिवृति मृत्यु अथवा अन्य कारणों से हुई रिक्तियों में नियुक्ति की स्वस्थ्य परंपरा थी, प्रशिक्षित शिक्षकों की नामिका जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में रहती थी और मेघा क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहती थी, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के पूर्व उनके सभी शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र सत्यापित कर लिए जाते थे। शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक एवं बिना योग्यता, बिना मेघा की जॉच किए हजारों हजार शिक्षक विद्यालय में नियोजित हो गए।

हमारे यहॉ छात्रों की योग्यता, ज्ञान या दिलचस्पी जानने का कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में नम्बर पाने के कई तरीके हो सकते हैं। इस व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करने होंगे, और ये परिवर्तन इक्का–दुक्का राज्य के बस की बात नही है। जो सरकारें इसमे सुधार करना चाहती है एवं परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने और शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इस कोशिश की अपनी सीमा है। शिक्षा को वास्तव में बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी बदलाव की जरूरत है। शिक्षा का महत्व और उसकी जरूरत असंदिग्ध है, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए और जितने संसाधन उसमे लगने चाहिए, उतने नहीं दिए जाते। इससे शिक्षा में तरह–तरह की गड़बड़ियॉ और घोटालों की गुॅजाइश होती है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए। कई जानकार कहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को भारत में विकास का मुख्य आधार बनाया जाए। शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा और उस पर ध्यान दिया जाएगा तो आनेवाली पीढ़ीयॉ काबिल, हुनरमंद और सचमुच पढ़ी–लिखी होगी। वरना हमारा परीक्षा तंत्र लगातार घोटालों और धांधलियों का शिकार होता रहेगा। बिहार का टॉपर घोटाला बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण है और इस व्यापक बीमारी का ईलाज राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया जाना जरूरी है। केवल परीक्षा–परीक्षा की जुमलेबाजी जारी है। जब तक प्रशिक्षित योग्य एवं मेधावी विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक शिक्षक रहित शिक्षा चतली रहेगी और बिहार में शिक्षा के गुणात्मक विकास का नारा मुॅगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जायेगें।